# मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-3

## संक्षिप्त कार्य विवरण

**पत्रक भाग-एक**

**बुधवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2007 (अग्रहायण 7, 1929)**

**विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.**

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

## 1. प्रश्नोत्तर

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्न संख्या 1 से 25 तक संबंधित माननीय सदस्यों के नाम पुकारे गए किन्तु संपूर्ण विपक्ष के माननीय सदस्यगण द्वारा अपने आसनों पर खड़े होकर एक साथ आरोपात्मक टिप्पणियां की गई तथा पोस्टरनुमा जैकेट तथा टोपी का प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की गई। श्री कपूरचंद घुवारा, सदस्य द्वारा भी बैनर प्रदर्शन किया गया, कुछ सदस्य गर्भगृह में आए तथा सत्तापक्ष के सदस्यों की समझाईश पर अपने आसन पर वापस गए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्यों से शांतिपूर्वक सदन चलने देने की अपील की गई किन्तु व्यवधान तथा शोरगुल के वातावरण होने से प्रश्नकर्ता सदस्यगण द्वारा प्रश्नोत्तर के द्वितीय चक्र में भी प्रश्न नहीं पूछे गए।

## 2. नियम 267 क के अधीन विषय

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल स्थित कायदा महकमा कजा व इफ्ता मसाजिद कमेटी का ऑडिट न होने,

(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना के देवरी के घड़ियाल केन्द्र में घड़ियाल के बच्चों की मौत होने,

(3) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य की सतना शहर में यातायात की अव्यवस्था होने,

(4) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की मुरैना जिले में पत्थर का अवैध रूप से उत्खनन किये जाने,

(5) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य की रीवा संभाग सहित प्रदेश में पेयजल संकट होने,

(6) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य की देवास जिले के ग्राम चिरावत से दोन्ना मार्ग की जर्जर हालत होने,

(7) श्री लाल सिंह आर्य, सदस्य की भिण्ड जिले के गोहद स्थित कन्या विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त होने,

(8) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य की कटनी जिले में केन्द्रीय सड़क निधि की राशि से सड़क निर्माण हेतु घटिया सामग्री का उपयोग होने,

(9) श्री मनोहरलाल राठौर, सदस्य की हरदा जिले के टिमरनी विधान सभा क्षेत्र के आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों को घटिया किस्म की खाद्य सामग्री प्रदाय किये जाने तथा

(10) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य की शाजापुर जिले में सिंचाई विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लापरवाही के कारण तालाबों पर अतिक्रमण होने,
संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

## 3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2007-2008 की पहली छः माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय प्रवृत्तियों का छः माही समीक्षा विवरण,

(ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार -

(i) वित्त लेखे वर्ष 2006-2007, तथा

(ii) विनियोग लेखे वर्ष 2006-2007,

(ग) मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन अधिनियम, 1991 (क्रमांक 14 सन् 1991) की धारा 8 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार बीस सूत्र कार्यान्वयन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-8-2006-43-बीस सूत्र, दिनांक 1 अगस्त, 2007, एवं

(घ) राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का 52वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007, पटल पर रखे।

(2) श्री जयंत मलैया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने -

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड का उन्तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे दिनांक 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिये, तथा

(ख) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2003-2004,पटल पर रखे।

(3) श्री गोपाल भार्गव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने -

(क) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2005-2006 (उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमंडल की टिप्पणियां), तथा

(ख) मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम अधिनियम, 1980 (क्रमांक 18 सन् 1980) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2001-2002, पटल पर रखे।

(4) श्री करण सिंह वर्मा, राज्यमंत्री उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 36 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2004-2005 पटल पर रखा।

(5) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने -

(क) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना फा.क्र.6-10-06-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 24 सितम्बर, 2007, तथा

(ख) परिसीमन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 33 सन् 2002) की धारा 9 की उपधारा (2) के अनुसरण में, भारत परिसीमन आयोग मध्यप्रदेश राज्य में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के लिए आदेश संख्या 38, दिनांक 19 जनवरी, 2007 तथा विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग की अधिसूचना फा.क्र.22-वि.निर्वा.-2007-चार-53, दिनांक 14 मई, 2007, पटल पर रखे।

(6) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006, पटल पर रखा।

## 4. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यसूची में अंकित ध्यानाकर्षण की सूचनाओं से संबंधित सदस्य के नाम पुकारे गए किन्तु सदन में व्यवधान तथा शोरगुल होने से सूचनाएं नहीं पढ़ी गई।

## 5. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 201, कसरावद से निर्वाचित सदस्य, श्री सुभाष यादव को विधान सभा के नवम्बर-दिसम्बर, 2007 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही है।

अनुज्ञा प्रदान की गई।

## 6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार लोक लेखा समिति का 364वां से 387वां प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ माना गया।

## 7. वक्तव्य

श्री राघव जी, वित्त मंत्री ने राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के मंहगाई भत्ते में वृद्धि के संबंध में वक्तव्य दिया।

## 8. अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2007 की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए स्थायी आदेश की कंडिका 24 तथा विधान सभा नियमावली के नियम 65 के परन्तुक में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को शिथिल कर आज ही सदन में पुर:स्थापित करने तथा उन पर विचार किये जाने की अनुमति प्रदान की है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

## 9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 24 सन् 2007) को सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

(2) श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 26 सन् 2007) को सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

## 10. वर्ष 2007-2008 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव किया कि -

"दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 55, 56, 64, 66, 67, 75, 77, 79, तथा 80 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निर्मित राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर दो हजार एक सौ चौवालीस करोड़, इकतीस लाख, चौवन हजार, एक सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

## 11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2007 (क्रमांक 25 सन् 2007) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2007 (क्रमांक 25 सन् 2007) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(2) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2007 (क्रमांक 24 सन् 2007) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
खण्ड 2 से 9 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2007 (क्रमांक 24 सन् 2007) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(3) श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 26 सन् 2007) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
खण्ड 2 से 26 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 26 सन् 2007) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

## 12. प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि

श्री लाल सिंह आर्य, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि "कुप्रबंधन के कारण विद्युत उत्पादन कम एवं व्यय अधिक होने विषयक जांच समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

## 13. सदन का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन संबंधी प्रस्ताव

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि चूंकि शासन द्वारा जो शासकीय कार्य प्रस्तावित किया गया था वह सभी कार्य पूर्ण हो चुका है। विपक्ष के असहयोग के कारण सदन की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है। और ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष की सदन की कार्यवाही चलाने में रूचि नहीं है। कोई भी शासकीय कार्य शेष नहीं है। अतः सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

## 14. राष्ट्रगान

सदन द्वारा राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का गायन किया गया।

पूर्वाह्न 10.58 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.

**डॉ. ए.के.पयासी**
**प्रमुख सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा.**